न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 557/2016

दर्ज दिनांकः 04/08/2016

निर्णय दिनांक : 28/12/2017

संशोधित शीर्षक

चन्दा पुत्र ग्यारसा जाति मीणा, निवासीः नगर तहसील निवाई, जिला टोंक, हाल, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

1. मंगली देवी पत्नि जगदीश
2. बच्चीदेवी पत्नि बाबू

   जाति मीणा, निवासीः प्रतापपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।

3. पन्नी देवी पत्नि घासी
4. जगदीश पुत्र मांगू
5. घासी पुत्र छोटू
6. ग्यारसी पत्नि गोविन्दा
7. रामपाल पुत्र अर्जुन (फौत)

   7/1 गोपाल पुत्र रामपाल

   7/2 राजू पुत्र रामपाल

   समस्त जाति मीणा, समस्त निवासीः ग्राम नगर, तहसील निवाई, जिला टोंक राजस्थान।

8. तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय द्वारा दिनांक 17/06/2017 को इस आशय का प्राथमिक डिक्री किया गया था कि " अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 21 के खसरा नंबर 113 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 168 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रामसिंहपुरा पटवार क्षेत्र गोपालपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी का मौके पर कब्जे सहमति अनुसार अथवा बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर खातेदारो में भूमि का विभाजन कर एवं रास्ते की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये नक्शे व कुरैजात दो–दो प्रति में तैयार कर भिजवाये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार फागी को निर्णय पर्चा डिक्री पालनार्थ भेजी जावे। "

दिनांक 13.10.2017 को तहसीलदार फागी से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये, शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 26.10.2017 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दिनांक 16.11.2017 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर वकील वादी को संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 30.11.2017 को वकील वादी ने संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 01.12.2017 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आपत्ति नक्शा कुरैजात प्रस्तुत किया, प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई, बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्देशित किया गया कि मौके पर समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में नक्शे कुरैजात संबंधी कार्यवाही करे। दिनांक 05.12.2017 को तहसीलदार फागी ने नक्शे कुरैजात प्रस्तुत किये, शामिल पत्रावली किये गये।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। नक्शे कुरेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायहित में तहसीलदार फागी से प्राप्त नक्शे कुरेजात अनुसार

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

वादी वाद स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर का पक्षकारान के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता हैः–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	चन्दा पुत्र ग्यारसा जाति मीणा सा. नगर, तहसील निवाई जिला टोंक	168/1 113/1	1.17 0.17
		2	2.14
2.	मंगली देवी पत्नि जगदीश हि. 1/6 बच्ची देवी पत्नि बाबूलाल हि. 1/2 सा. प्रतापपुरा तह. निवाई जगदीश पुत्र मांगू हि. 1/3 जाति मीणा सा. नगर तह. निवाई जिला टोंक	168/2	5.11
3.	पन्नी देवी पत्नि घासी हि. 2/9 घासी पुत्र छोटू हि. 2/9 ग्यारसी देवी पत्नि गोविन्दा हि. 2/9 जगदीश पुत्र मांगू हि. 1/9 रामपाल पुत्र अर्जुन हि. 2/9 जाति मीणा सा. नगर तह. निवाई	113/2	2.10

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि नवीनतम पक्षकारान की जांच करते हुये अंतिम डिक्री निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

चन्दा

बनाम

मंगली देवी व अन्य

::– वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 557/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः वादी वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर का पक्षकारान के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता है। राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के नियम 62 की पालना में खसरा बटा नंबरान को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। शेष विवरण पुश्त पर अंकित है।

निज......—.......मुबलिग......—.......बाबत......—.......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह......—.......फीसदी...—...सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...—...का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/12/2017 को जारी की गई।

दस्तखत................

मुहर

ओहदा...................

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर	NIL	
फीस कमीश्नर	NIL		बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	चन्दा पुत्र ग्यारसा जाति मीणा सा. नगर, तहसील निवाई जिला टोंक	168/1 113/1	1.17 0.17
		2	2.14
2.	मंगली देवी पत्नि जगदीश हि. 1/6 बच्ची देवी पत्नि बाबूलाल हि. 1/2 सा. प्रतापपुरा तह. निवाई जगदीश पुत्र मांगू हि. 1/3 जाति मीणा सा. नगर तह. निवाई जिला टोंक	168/2	5.11
3.	पन्नी देवी पत्नि घासी हि. 2/9 घासी पुत्र छोटू हि. 2/9 ग्यारसी देवी पत्नि गोविन्दा हि. 2/9 जगदीश पुत्र मांगू हि. 1/9 रामपाल पुत्र अर्जुन हि. 2/9 जाति मीणा सा. नगर तह. निवाई	113/2	2.10

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि नवीनतम पक्षकारान की जांच करते हुये अंतिम डिक्री निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी